

भारतेंदु सिन्हा
उप निबंधक : शानपुर
भदोही
23/11/2019

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हरे



बही संख्या 4 जिल्द संख्या 40 के पृष्ठ 189 से
232 तक कमांक 47 पर दिनांक 23/11/2019
को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

आवदन सं.: 201900998005052

28.11.19
शानपुर जिला
रजिस्ट्रार
[Signature]

4468



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574621

- 21 -

20.

लेखा-जोखा (आडिट) :-

आर्थिक वर्ष के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास अपना लेखा जोखा को चुस्त-दुरुस्त और उसकी आडिट भी करायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अपने खर्च से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से आडिट करायेगा तथा उसका लेखा जोखा भी रखेगा करेगा। चार्टर एकाउन्टेन्ट (सी०ए०) की मदद भी ले सकता है।

मसविदाकर्ता-

श्री विजय कुमार शुक्ला
ग्राम-दवनपुर, पो. जंगीगंज
तहसील-ज्ञानपुर, जिला-भदोही

(उ०प्र०)

गवाह -

विजय शुक्ला



विजय शुक्ला

1.

व्यावहारिक शुल्क व ड्यूटी शुल्क के लिए केन्द्रित

2.

श्री विजय शुक्ला के लिये 9415076656
भदोही - भदोही



५५६७ ८८८ ५५५७

१५



मालिकराम शुक्ल
न्याय विक्रेता २२/१-१९
उच्च न्यायालय जयपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH.

74AD 574620

- 20 -

18

पदों का सृजन :-

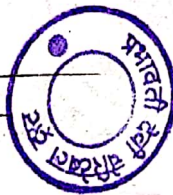
: ट्रस्ट/न्यास आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और इन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता है तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य सौंप सकता है।

19.

ट्रस्ट/न्यास का विस्तार :-

: प्रभावती देवी चैरीटेबल ट्रस्ट अपने कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

विजय शुक्ला



क्रमशः पेज..21...

विजय शुक्ला

4466 ॐ 444)

ॐ

मोहम्मद मुकल
राम विवेता
उनिवर्सिटी कानपुर
22-11-14





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574619

- 19 -

16.

वाद-विवाद (प्रतिवाद) :-

: समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का कार्यक्षेत्र उ०प्र० रहेगा तथा ट्रस्ट/न्यास दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद-प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद-प्रतिवाद की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

17.

परियोजनाओं के संचालन में :-

: ट्रस्ट/न्यास सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी प्रान्त, जिला, तहसील व ग्राम में चलायी जायेगी।

विजय सुप-ला



कमरा: पेज. 20...

विजय सुप-ला

4465 00 444)


मालिक राम शुक्ल
पदाधिकारी
उपनिष्ठायालय ज्ञानपुर
22-11-19





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 18 -

14.

ट्रस्ट/न्यास के रिकार्ड व अभिलेख

— सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर कैशयुक्त, लेजर बाऊचर फाइल सदस्यता फाइल, रसीद, वही, पास बुक, चेक-बुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे। जो अध्यक्ष के पास रहेगा।

15.

अनुशासनात्मक कार्यवाही:

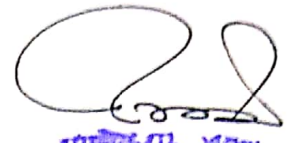
: ट्रस्ट/न्यास के तथा ट्रस्ट के अधीनस्थ किसी संस्था समिति के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति करेगी।

कमरा: पेज. 19...

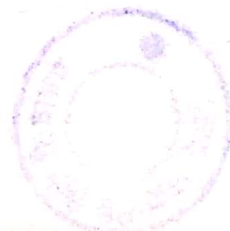
विजय गुप्ता



4464 ८८८ ५५५)



भा.सं.क.सं. शुभला
महाराष्ट्र विवेका
उ.नि.०.कार्यालय बानपुर
२२-११-१०



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 17 -

74AD 574617

आवश्यकतानुसार उन खातों में परिवर्तन कर सकता है एवं घयनित पदाधिकारी का नाम परिवर्तित कर सकता है। ट्रस्ट/न्यास का अपना निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिए एक अलग से खाता परिचालित करना होगा।

13.

विवादित स्थिति निर्णय :—

ट्रस्ट/न्यास में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टियों को ट्रस्ट के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और ये ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रबन्धक कार्यकारिणी समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट/न्यास की समस्त घल-अघल सम्पत्ति के नियन्त्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसी परिस्थिति में अंतिम प्रबन्धकारिणी समिति एवं अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी ट्रस्टी सदस्य किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। यह ट्रस्ट/न्यास तथा उससे संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।



विजय शुक्ला

॥५६४ ००० ॥५५५



मालिकराम शुक्ल
महाराष्ट्र विवेका
उपनिवेशाध्यक्ष जालंधर
२२-११-१९



भारतीय गैर न्यायिक

17

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574616

- 16 -

8.

ट्रस्ट/न्यास के दस्तावेजों में :
संशोधन

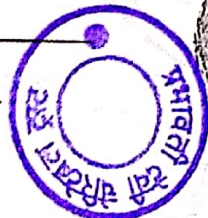
ट्रस्ट/न्यास यदि, यह महसूस करता है कि इसके दस्तावेज में किसी धारा में संशोधन परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक है तो वह संस्थापक सदस्यों की अनुमति से कर सकता है।

12.

ट्रस्ट/न्यास का कोर्स :-

: ट्रस्ट/न्यास अपने निजी या अपने अधीन या किसी संस्था या परियोजना का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा पारित करके अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों खाता खुल सकता है तथा कोई भी धन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष में से किसी एक के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा।

विजय शुक्ला



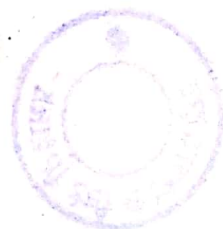
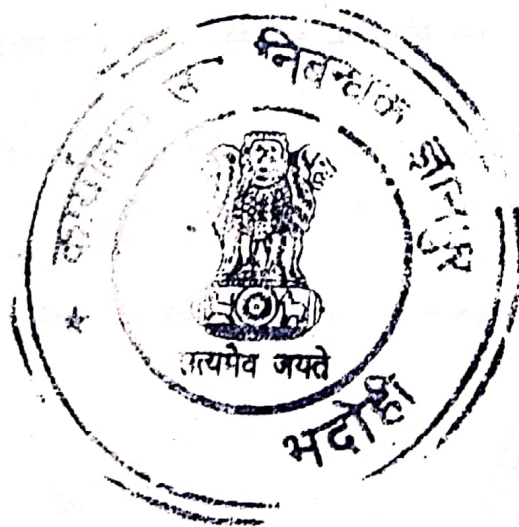
कमरा: पेज. 17...

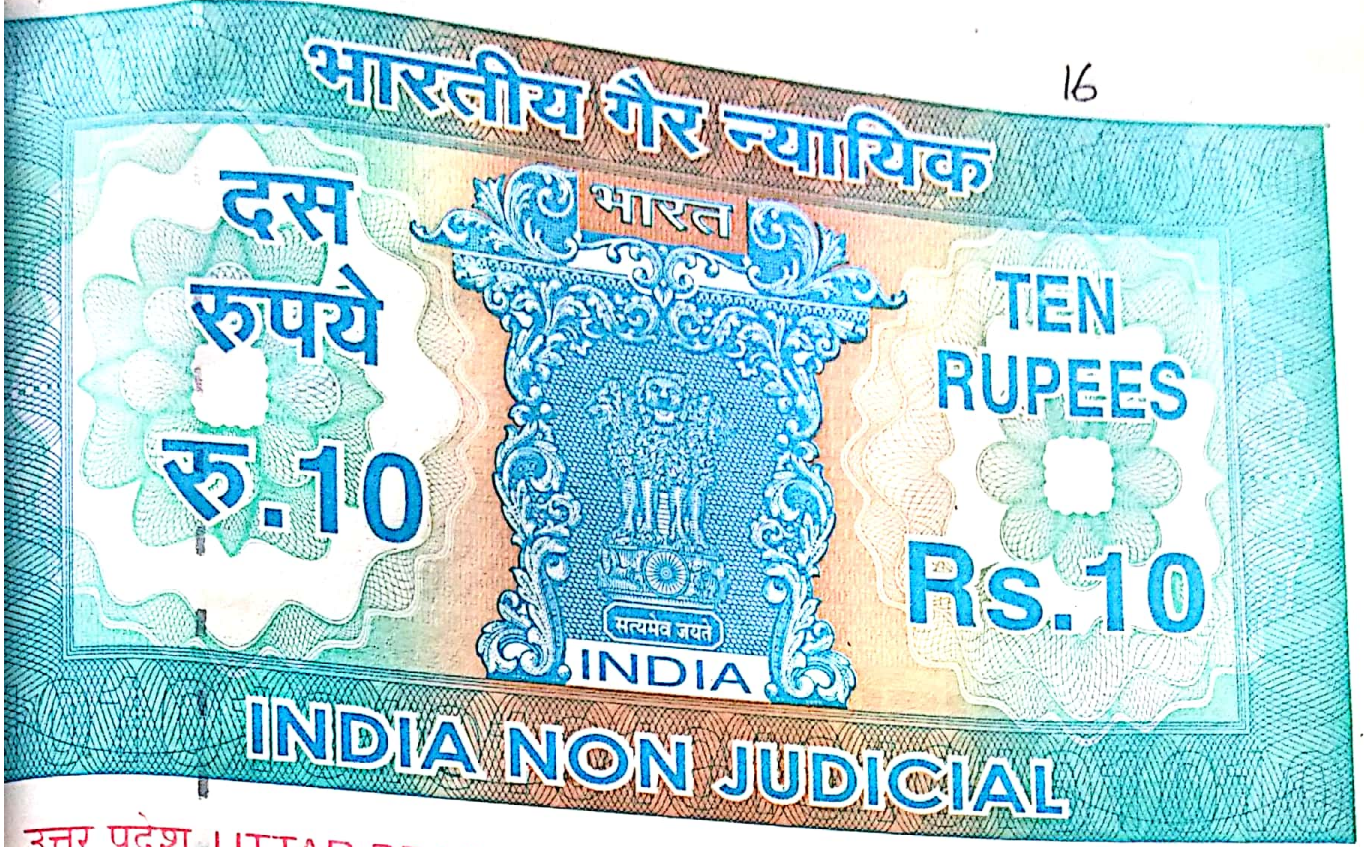
विजय शुक्ला

4462 4445



मालिकराम शुक्ल
ग्राम्य निवेदता
उ०नि०कार्यालय बानपुर
22.11.19





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574615

- 15 -

2. ट्रस्ट/न्यास की कार्यवाही के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व अन्त में ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष एवं ट्रस्ट प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर होंगे।
3. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्य रूप से एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा द्वारा प्रमाणित साधन द्वारा दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक बैठक 24 घण्टे में बुलायी जा सकती है।
4. ट्रस्ट/न्यास में ट्रस्टी सदस्यों की संख्या कम से कम 02 और ज्यादा से ज्यादा 21 होगी।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावित एजेण्डा में यदि कोई प्रस्ताव नहीं है और उसको समिति में रखना है तो अध्यक्ष की अनुमति में रखा जा सकता है।
6. निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। समान मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
7. ट्रस्ट/न्यास का वार्षिक अधिवेशन एवं समय पर आडिट करना, प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के निर्देशों पर होगा।

विजय शुक्ला

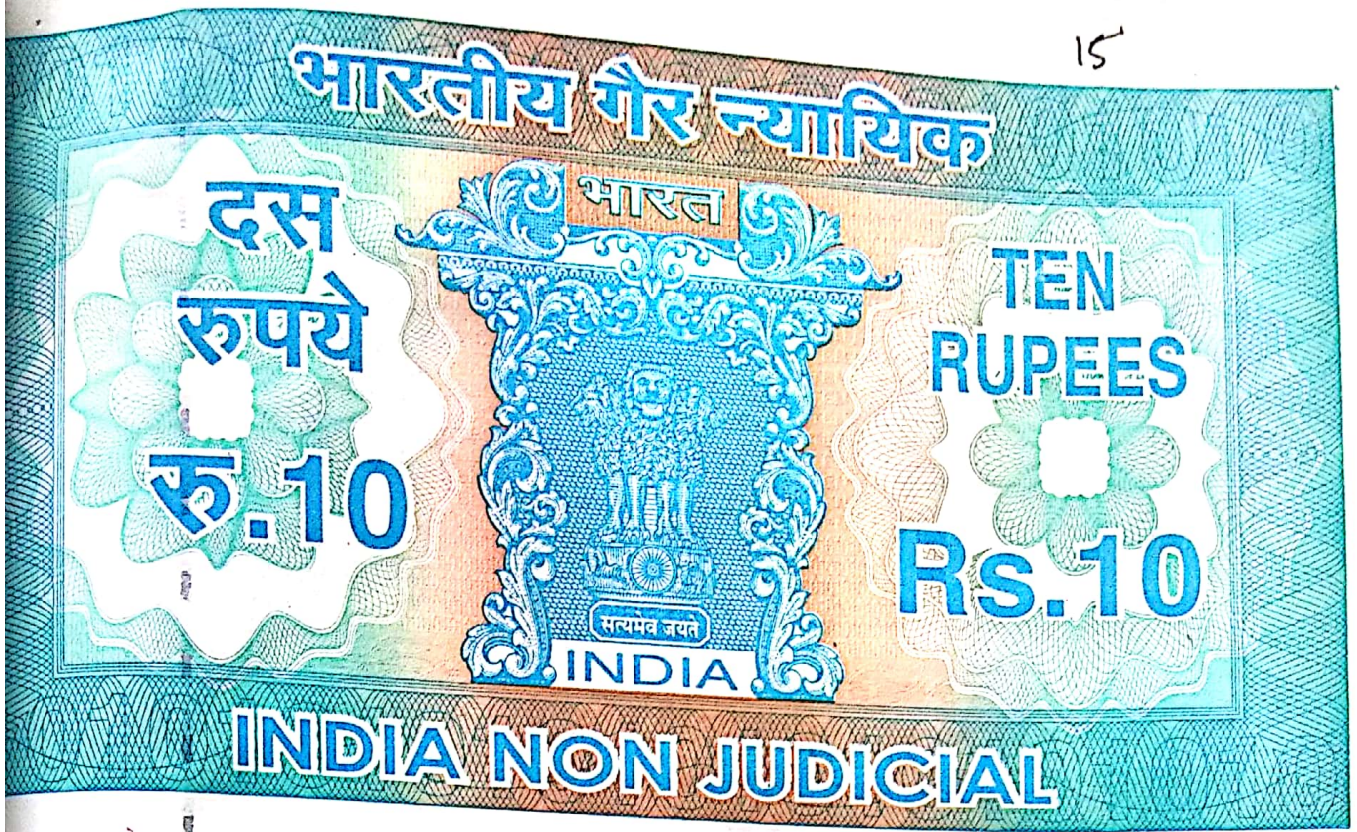
विजय शुक्ला

4461 २२ 444)



मालिक व. शुक्ला
न्याय निदेश
30 नं० कार्यालय जानपुर
22.11.19





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574614

- 14 -

09. मुख्य ट्रस्टीयों के अधिकार एवं कर्तव्य :- मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति में एजेण्डा के अनुसार अपने विचार रखेंगे और निर्णय लेने में प्रबन्धकारिणी समिति की मदद करेंगे प्रबन्धकारिणी समिति आम सहमति से मुख्य ट्रस्टीयों की संख्या घटा व बढ़ा सकती है।
10. सहयोगी ट्रस्टी :- : ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की सहमति उपसमितियों एवं पदाधिकारियों के रूप में मनोनीत किये जायेंगे और वे सौंपे गये कार्यवाही को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
11. ट्रस्ट/न्यास के समान्य नियम :-
1. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में तीन सदस्य होंगे, जिनमें ट्रस्ट अध्यक्ष, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष ट्रस्ट/प्रबन्धक/सचिव तीन पदाधिकारी होंगे, जो ट्रस्ट/न्यास के संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष ही होंगे।

विजय शुभ-का



विजय शुभ-का

unbo con unu)

28

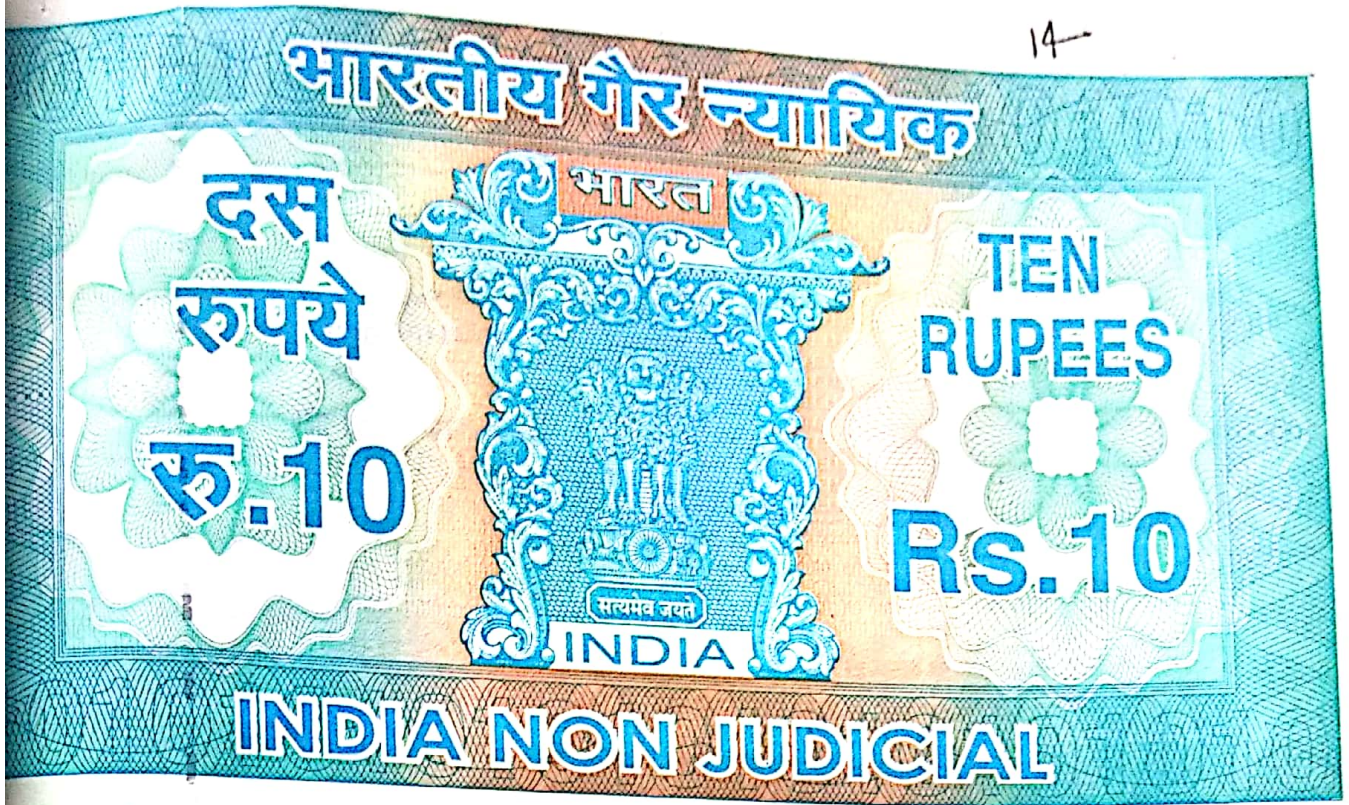
मालिकराम शुक्ल

गदाम्य विक्रेता

उ०नि०कार्यालय झांझपुर

२२-११-१९





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574613

- 13 -

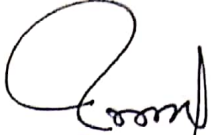
7. ट्रस्ट/न्यास के किसी पदाधिकारी द्वारा लिखे गये प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।
8. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।
9. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट बोर्ड पर सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी। जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगे।
10. ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार:- ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष ही ट्रस्ट/न्यास के मुख्य अधिकारी होंगे। जो ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों के प्रति समर्पित होंगे। न्यासकर्ता ही ट्रस्ट/न्यास की प्रथम आजीवन ट्रस्ट/न्यास होंगे। ट्रस्ट/न्यास

अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को अपने आजीवनकाल में उत्तराधिकारी अध्यक्ष मनोनीत कर सकते हैं। ट्रस्ट/न्यास के किसी भी ट्रस्ट/न्यास सदस्यों द्वारा ट्रस्ट/न्यास के प्रति असहयोग या पागल होने पर दिवालिया होने, मृत्यु होने पर न्यायालय द्वारा सजा पाने पर ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता से मुक्त कर सकता है। ट्रस्ट/न्यास का प्रशासनिक कार्य अध्यक्ष द्वारा सम्पादित, होगा एवं ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। किसी ट्रस्ट/न्यास की पूर्ति के लिए मनोनयन करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना, वेतन वृद्धि करना एवं बहाली करना, ट्रस्ट/न्यास के समस्त वैधानिक कागजातों एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, एवं ट्रस्ट/न्यास के चल-अचल सम्पत्ति का स्थानान्तरण करना, खरीदना, या बेचना बैंक खातों का संचालन करना एवं ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धकारिणी के समस्त प्रस्तावों को कार्य रूप में प्रस्तावित करना।

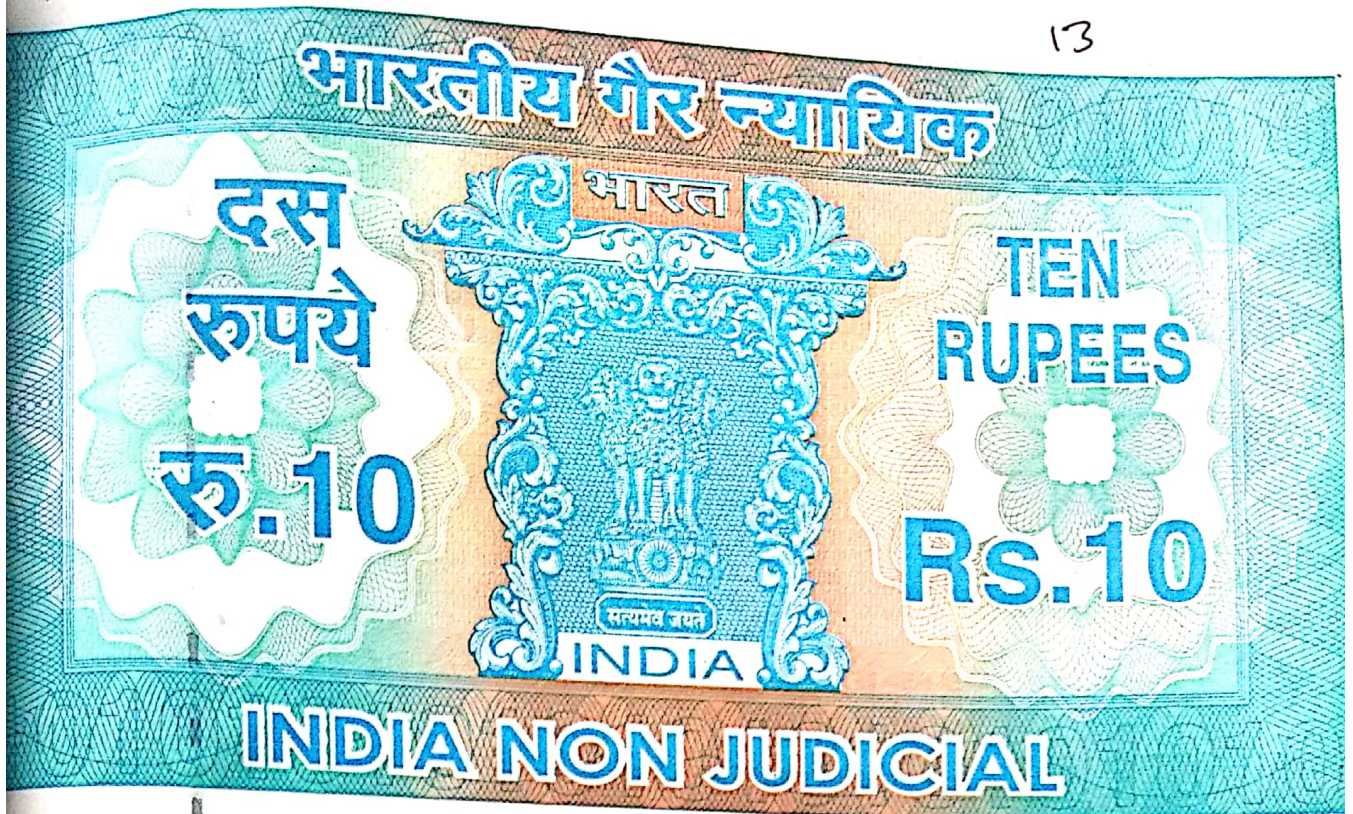
विजय शुक्ला

विजय शुक्ला

445p 600 444)


मालिकराम भुक्ता
स्टाम्प विवेता
उनि० कार्यालय धनपुर
22.11.11





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574612

- 12 -

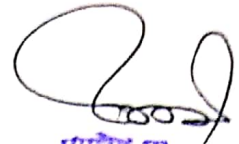
07. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. किसी सदस्य का समिति के चल-अचल सम्पत्ति को खरीदने-बेचना, रेहन रखने, ऋण लेने का अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्त करना, निष्कासन करना व किसी अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व मुख्य समितियों का गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
4. ट्रस्ट/न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों संस्थाओं व परियोजनाओं को अलग-अलग बैंक खातों को समयानुसार चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हें बन्द कराना या परिवर्तन कराना।
5. ट्रस्ट/न्यास की ओर से किसी भी प्रकार की अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए या याद विवाद के पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जॉच पड़ताल के लिए ट्रिबुनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।
6. वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।

विजय शुक्ला

विजय शुक्ला कमिशन पेज..13...

५५५८ ०० ५५५)



मालिकरा- भुवरा
ग्राम दिवेता
महोदयकार्यलय जगपुरी
22-11-10





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11 -

74AD-574611

- मुख्य ट्रस्टी होंगे, ये संस्थापक ट्रस्टी के कार्यों में सहयोग तथा अपनी राय व्यक्त करेंगे। इनमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।
3. सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी : जो व्यक्ति ट्रस्ट/न्यास को 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा। वह एक वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी होगा। इसके लिए संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
4. ट्रस्टी/न्यासी की सदस्यता समाप्ति : पागल होने, दियालिया होने, मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय द्वारा सजा पाने या त्याग पत्र देने पर, सदस्यता समाप्त समझी जायेगी या ट्रस्टी/न्यासी सदस्य सदस्य ट्रस्ट के खिलाफ काम करने पर उन्हें प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निलम्बित किया जा सकता है और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

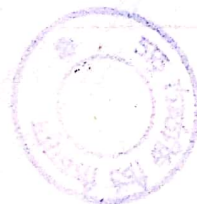
विजय शुक्ला



विजय शुक्ला

कमश:पेज..12..

2014





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 100236

प्रबन्धकारिणी समिति के उत्तरदायी पद— ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, ट्रस्टी कोषाध्यक्ष होंगे। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष ही मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होंगे। ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी। ट्रस्ट का मुख्यालय ट्रस्ट का भाग नहीं है।

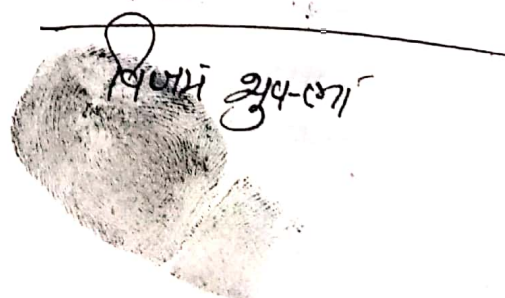
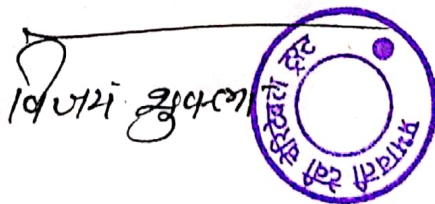
संस्थापक ट्रस्टी

- 1—श्री विजय कुमार शुक्ल
- 2—श्री अजय कुमार शुक्ल
- 3—श्रीमती पूजा शुक्ला

इस ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टी होंगे जिन्हें अपने जीवनकाल में उत्तराधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार के ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है एवं ट्रस्ट न्यास के संचालन एवं नियन्त्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। इन तीनों ट्रस्टियों में से यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका उत्तराधिकार ग्रहण करते रहेंगे। ये तीनों आजीवन ट्रस्टी होंगे।

2— मुख्य ट्रस्टी / न्यासी—

- 1—श्री राम आसरे शुक्ल
- 2—जड़ावती देवी
- 3—श्रीमती पूनम
- 4—श्रीमती प्रमिला शुक्ला



५५५७ (०० ५५५)


भारतीय राज्य पुस्तक
संयोजक
२२/११/१९



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574609

- 9 -

22. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं प्रचार-प्रसार करेगा।
 23. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करेगा तथा न्यूज पेपर (समाचार पत्र) सम्पादित करेगा।
 24. खेल-कूद पर्यटन योग या लोकगीत, लोक संस्कृति एवं परम्पराओं का प्रचार-प्रसार एवं विकास करेगा।
 25. विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ जैसे- सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि एकत्र करेगा तथा कार्यशीलाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचायेगा।
 26. शासन स्तर पर हो रहे ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के प्रयासों का प्रचार-प्रसार एवं उस दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करेगा।
 27. अन्य सभी कार्य करेगा जिससे जन सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।
 28. विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करेगा, जो इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी।
04. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति :- ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में दस्तावेज में उल्लिखित/पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेंगे। इसमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।

विजय शुक्ला



कमरा: पेज..10..

विजय शुक्ला

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574609

- 9 -

22. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं प्रचार-प्रसार करेगा।
 23. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करेगा तथा न्यूज पेपर (समाचार पत्र) सम्पादित करेगा।
 24. खेल-कूद पर्यटन योग या लोकगीत, लोक संस्कृति एवं परम्पराओं का प्रचार-प्रसार एवं विकास करेगा।
 25. विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ जैसे- सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि एकत्र करेगा तथा कार्यशीलाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचायेगा।
 26. शासन स्तर पर हो रहे ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के प्रयासों का प्रचार-प्रसार एवं उस दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करेगा।
 27. अन्य सभी कार्य करेगा जिससे जन सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।
 28. विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करेगा, जो इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी।
- Q4. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति :- ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में दस्तावेज में उल्लिखित/पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेंगे। इसमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।

विजय शुक्ला

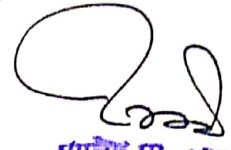


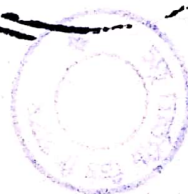
कमश:पेज..10..

विजय शुक्ला

14

4456 200 4447


मालिकरा-भुवरा
माम विवेता
मामिकरानिम मारुपि
22-11-12



(9)

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

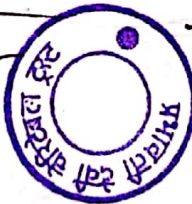
- 8 -

74AD 574608

15. प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, विपत्तियों के समय भी पीड़ितों को हर समय सहायता उपलब्ध करायेगा। समय-समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा।
16. मातृ शिशु कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्य के लिए कार्य करेगा तथा प्रचार-प्रसार करेगा।
17. ग्राम स्तर पर उत्पादित वस्तुओं, हस्तकला सामग्रियों, कताई-बुनाई, सिलाई-कढ़ाई इत्यादि के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगा।
18. जैविक खेती द्वारा सब्जी, फल एवं अनाज का उत्पादन कराकर फसलों में रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न कीटों, (फसल मित्र) का प्रयोग करेगा और रासायनिक विषक्तता की मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा।
19. गो-वश संरक्षण एवं विकास की दिशा में कृषकों एवं जनमानस की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा।
20. सामाजिक बानिकी और कृषि बानिकी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा भारतीय जीव जन्तु कल्याण एवं अन्य जीव संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करेगा तथा संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देगा।
21. जगह-जगह पर वनोपधिक उद्यानों की स्थापना कराकर औषधियों (विशेषतः लुप्त प्रायः) का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता पैदा करायेगा।

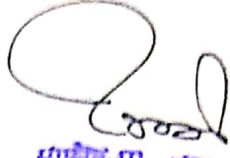
कमश:पेज..9....

विजय शुक्ला



विजय शुक्ला

4455- 688 4447


मालिकराम शुक्ल
ग्राम्य विवेता 22-11-19
301-10 कार्यालय ज्ञानपुर





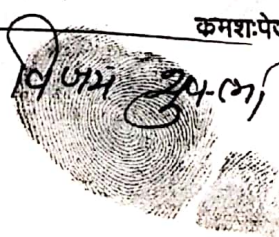
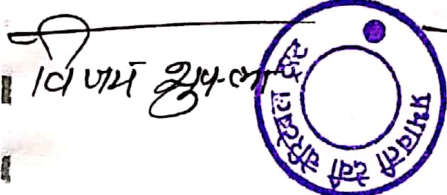
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 7 -

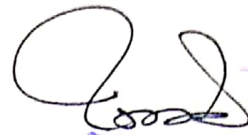
74AD 574607

7. निराश्रित एवं जरूरतमंदों की मदद करेगा, न्यास/ट्रस्ट द्वारा जरूरत मंदों को स्वरोजगार हेतु न्यूनतम दर पर ऋण प्रदान किया जायेगा।
8. दलित एवं अति पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनु० जन जाति एस.सी./एस.टी. फण्ड ओ.बी.सी. के उत्थान के लिए कार्य करेगा।
9. समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं विकलांगों एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगा, तथा समाज के आदर्श संस्कृति, समानता, भाईचारा एवं सह अस्तित्व स्थापित करने के लिए कार्य करेगा।
10. समाज में व्याप्त बुराईयों एवं कुरीतियों का प्रबल विरोध करेगा एवं व्यक्तियों के सांस्कृतिक तथा चारित्रिक निर्माण के लिए प्रयास करेगा।
11. युवकों को मध्यपान एवं नशाखोरी के प्रभाव से निकाल कर पुनर्वास की व्यवस्था करेगा तथा उन्हें स्वरोजगार द्वारा स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करेगा।
12. सभी को शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिक विद्यालय जू०डा० स्कूल उ०मा० विद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना करेगा एवं संचालित करेगा।
13. सभी को स्वास्थ्य समृद्धि एवं स्वावलम्बन की व्यवस्था के लिए कार्य करना तथा स्वदेशी की अवधारणा पर खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास करेगा एवं इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषकों के उत्थान के लिए टिकाऊ कृषि प्रायोगिकी का विकास करने के लिए तथा कृषकों को सब्जी एवं फल प्रसंस्करण के लिए प्रेरित करेगा एवं प्रशिक्षित करेगा। कृषि आधारित उद्योग के प्रचार-प्रसार एवं स्थापना हेतु उपयुक्त पात्रों को परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

कमशःपेज.8....



५५५५ (७७ ५५५)



भारतीय-शुक्ल

साम्प्र विवेका

उद्योग-कार्यालय ज्ञानपुर

22-11-19



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 6 -

74AD 574606

- केन्द्र, आवासीय विद्यालय निराश्रित सेवा केन्द्र (अनाथालय) मुक्त बधिर, विकलांग केन्द्र, छात्रावास, पशु अस्पताल, गो सेवा सदन मूर्गी पालन, सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, कृषि विज्ञान, शिक्षा केन्द्र आदि की स्थापना करना एवं इनका संचालन करना।
3. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूर, महिलाओं, पुरुषों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, कृषि विकास, पशुपालन, पर्यावरण, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, नशा बन्दी निवारण, सामाजिक कुरीतियों, सम्प्रदायिकता निवारण, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का विकास, आकस्मिक दुर्घटना में सहायकता, महिला उत्पीड़न का विरोध व प्रताड़ित महिलाओं का संरक्षण अनाथ-बच्चों की शिक्षा का संरक्षण व पोषण, परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का विस्तार आदि कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
4. समय-समय पर मिनिट, गोष्ठी सेमिनार, अधिवेशन, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।
5. देश की होनहार प्रतिभाओं, सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में एवं उत्कृष्ट सेवाओं में ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों को उत्साह वर्धन के लिए नागरिक सम्मान व प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार प्रदान करेगा।
6. ट्रस्ट अपने स्वावलम्बन कार्यक्रम के संचालन के लिए जनता, व्यापारिक प्रतिष्ठानों जिला, प्रशासन राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं सरकारों के अधीन विभिन्न मंत्रालयों व अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों से चन्दा दान अनुदान प्राप्त करेगा।

विजय गुप्ता



कमश:पेज.7...

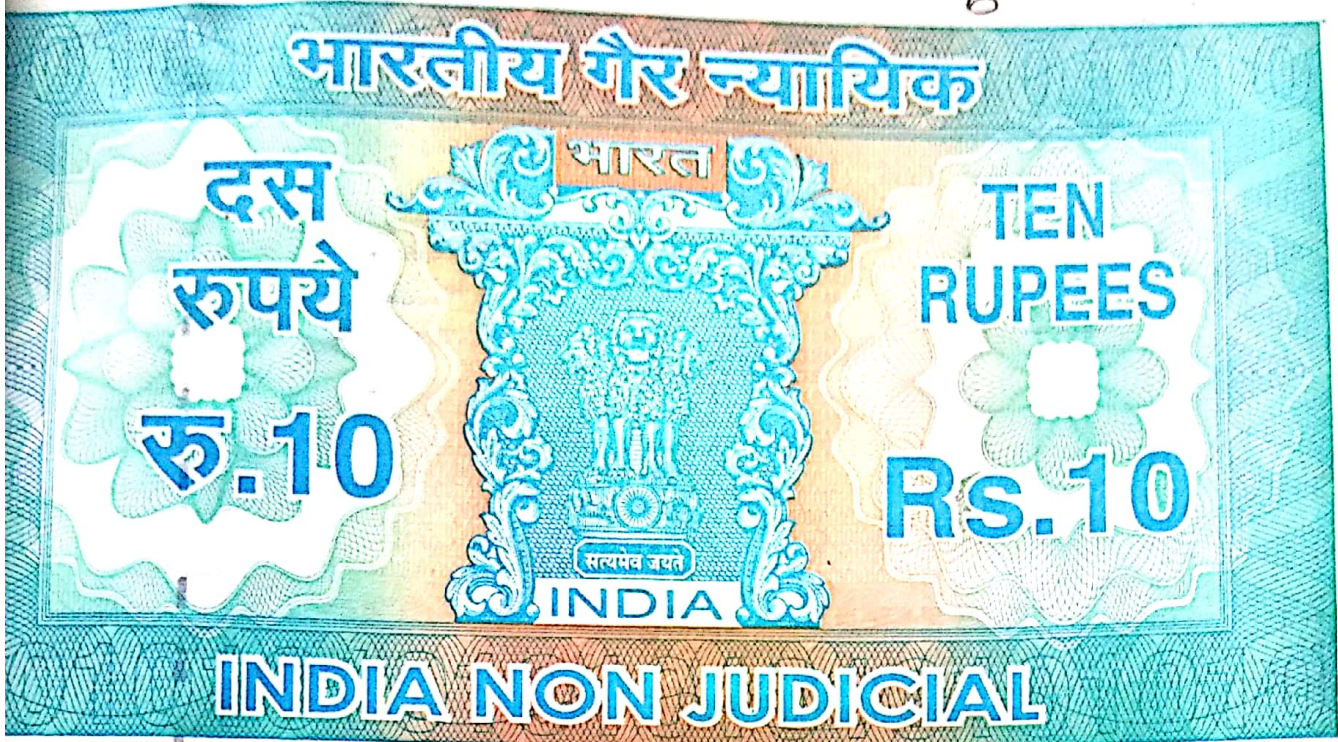
विजय गुप्ता



५५५३ ००० ५५५७


मालिकराम शुक्ल
ग्राम पिकेता
जंमनेकर्यालय नानपुर
२२-११-१९





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574605

11. लाभग्राही

हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि
समस्त जाति धर्म के समस्त लोगों को बिना
किसी भेद-भाव व सामान्य विकास एवं

मात्र के सर्वांगीण विकास के लिये यह ट्रस्ट
काम करेगा। और सभी को समान लाभ
पहुँचाने का प्रयास करेगा। प्राणियों एवं
वनस्पतियों के विकास व कल्याण के लिए
किया जायेगा।

03. ट्रस्ट के उद्देश्य :-

1. सामाजिक विकास के लिए विशेषकर इन क्षेत्रों में जैसे भारतवर्ष के निरीह और जरूरत गन्द बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों में अपना उद्देश्यों के निहित भिन्न-भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को संचालन करना एवं उसी प्रबन्ध समितियों का गठन करना तथा प्रबन्ध समितियों संस्थाओं का संचालन करना।
2. सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय, अस्पताल तथा प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल उच्च माध्यमिक, इण्टर एवं सी.बी.एस.सी. बोर्ड, आई.सी.एस.ई. बोर्ड, यू.पी. बोर्ड, महाविद्यालय (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विधि) अभियान्त्रिक कालेज, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हास्पिटल सामाजिक शिक्षा, बी. एड, एम.एड., बी.पी.एड., डी.एड., मैनेजमेंट्स कोर्सेस, एम.बी.ए., पी.जी., डी.बी.एम., एम.पी.एम., बी.बी.ए. होटल मैनेजमेन्ट डिप्लोमा एवं डिग्री इन इन्जीनियरिंग कालेज।

विजय शुभ-म



विजय शुभ-म

क्रमशः पेज 6.....

५५८२ ०० ५५५)



मालिकराम भुविल
प्राप्त विक्रेता २२-११-१५
उ.नि.कार्यालय गान्धारी



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

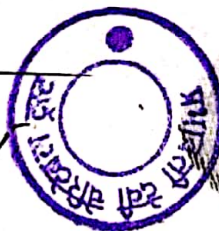
74AD 574604

-4-

- | | | |
|---|---|---|
| 4. ट्रस्ट / न्यास का नाम | : | प्रभावती देवी, चैरिटेबल ट्रस्ट |
| 5. ट्रस्ट न्यास का स्थायी पता | : | ग्राम- दयनपुर, पो.-जंगीगंज,
तहसील-ज्ञानपुर
जिला- भदोही (उ.प्र.) भारत |
| 6. ट्रस्ट/ न्यास/ निर्माता/ न्यासकर्ता | : | विजय कुमार शुक्ल ग्राम- दयनपुर, पो.
-जंगीगंज,
तहसील-ज्ञानपुर जिला- भदोही (उ.प्र.) भारत |
| 7. ट्रस्ट/ न्यास का कार्यक्षेत्र | : | सम्पूर्ण भारत |
| 8. न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद | : | अजय कुमार शुक्ला (प्रबन्धक/ सचिव)
ग्राम- दयनपुर, पो.-जंगीगंज,
तहसील-ज्ञानपुर जिला- भदोही (उ.प्र.) भारत |
| 9. न्यासधारी ट्रस्ट | : | प्रभावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम- दयनपुर,
पो.- जंगीगंज, तहसील- ज्ञानपुर,
जिला-भदोही (उ.प्र.) भारत |
| 10. ट्रस्ट/ न्यास का स्वरूप | : | यह ट्रस्ट/ न्यास एक चैरिटेबल संस्था है जो
धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, एवं राजनीति से
उपर उठकर कार्य करेगी। |

कमश: पेज 5.....

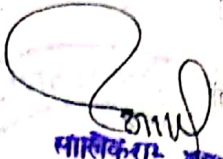
विजय शुक्ला

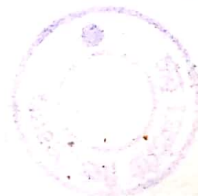


विजय शुक्ला

5002

५५५९ ००१ ५५५९


मालिकराव भुवरा
गट्याप दिवेला
३०नि०कार्यालय नानपुर
२८-१-७९





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 100120

क्र० सं०	नाम ट्रस्टी न्यासी	पद	व्यवसाय	पता
1	विजय कुमार शुक्ल	अध्यक्ष	नौकरी	ग्राम दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही उ०प्र०
2	अजय कुमार शुक्ल	प्रबन्धक	नौकरी	खसरा नं० 484 एक्टेन्डेड लालडोरा ग्राम मुण्डवा दिल्ली
3	पूजा शुक्ला	कोषाध्यक्ष	गृहणी	ग्राम दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही उ०प्र०
4	राम आसरे	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही उ०प्र०
5	प्रमिला शुक्ला	ट्रस्टी	गृहणी	झिगुरिया बरसठी मड़ियाहू जौनपुर
6	पूनम	ट्रस्टी	गृहणी	ग्राम सुन्दरपुर पोस्ट चकसुन्दर तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही
7	जड़ावती देवी	ट्रस्टी	गृहणी	ग्राम दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही उ०प्र०

विजय शुक्ल

विजय शुक्ला

4451 200 444)

आवेदन सं०: 201900998005052

Sanjay
सालिकराम शुक्ल
न्याय विवेता
उपनिर्वाहक न्यायाधीश
22.11.2019

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 47

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्री विजय कुमार शुक्ल, पुत्र श्री रामआसरे शुक्ल

निवासी: दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील
ज्ञानपुर-221310, आधार सं० 4247-1669-4285

व्यवसाय: कृषि

विजय शुक्ल



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री सालिकराम शुक्ल, पुत्र श्री हूबलाल शुक्ल

निवासी: उमरिया पोस्ट ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर-221304

व्यवसाय: व्यापार

सालिकराम शुक्ल

पहचानकर्ता: 2



श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, पुत्र श्री दातादीन श्रीवास्तव

निवासी: खेमईपुर पोस्ट असनवा बाजार तहसील
औराई-221401

व्यवसाय: व्यापार

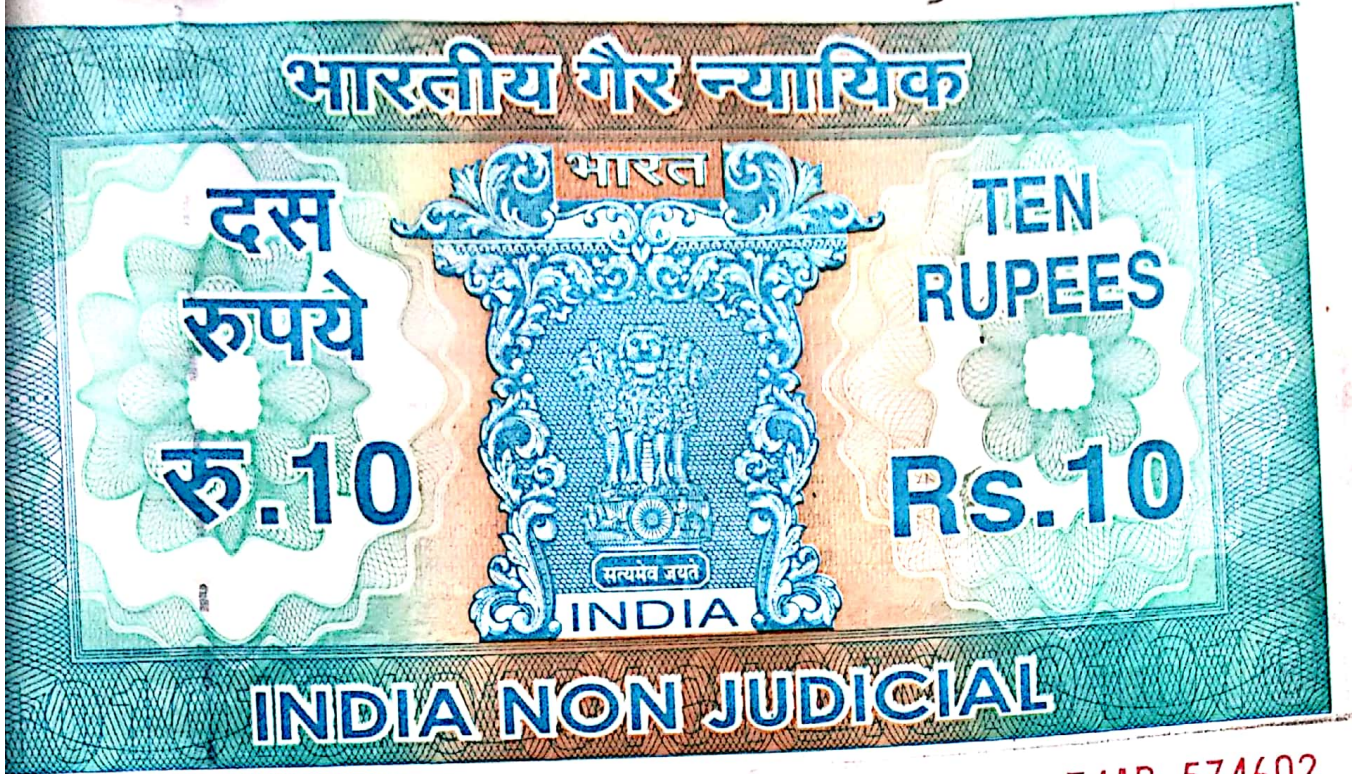
ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षिणों के विधान अंगुलि नियमानुसार
लिए गए हैं।
टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शरदेन्द्र मिश्र
उप निबंधक : ज्ञानपुर
भदोही

अजय कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

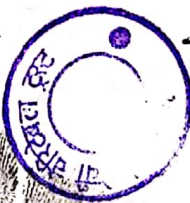
-2-

में अंकित होगा या बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा। संस्थापक न्यास/दस्त प्रभावती देवी चैरिटेबल दस्त के नाम उपरोक्त धनराशि सौंप चुका है तथा न्यास/दस्त के उद्देश्यों को संचालित करने के लिए नियुक्त प्रबन्धक/सचिव, दस्त/न्यास पहले से ही अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है और वैधानिक रूप से 21,000/- रुपये (इक्कीस हजार रुपये) से अपना मालिकाना का अधिकार रखता है। न्यास/दस्त के समुचित एवं स्थायी सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम पात्र सचिव की नियुक्ति की गयी है। न्यास/दस्त को औपचारिक दस्तावेज को कियान्वित करने के लिए यह समझा जाता है कि न्यास/दस्त निश्चित शर्तों के साथ अध्यक्ष को अपना अधिकार प्रदान करती है।

न्यास/दस्त के संस्थापक द्वारा इस दस्तावेजों को गवाहों के समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रेषित की जाती है।

1. रुपये 21,000/- (इक्कीस हजार रुपये) न्यास/दस्त की सम्पत्ति होगी और बाद में न्यास/दस्त की सम्पत्ति कहलाएगी।
2. दस्त सम्पत्ति का अर्थ होगा उपरोक्त रकम रुपये 21,000/- (इक्कीस हजार रुपये) न्यास/दस्त की होगी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर पूँजी लगाना या किसी क्षेत्र से प्राप्त की गयी धनराशि इसके अतिरिक्त दान-दाताओं एवं स्वयं सेवी संगठनों तथा किसी संस्था अथवा सोसायटीद्वारा दी गयी रकम या सम्पत्ति न्यास/दस्त की होगी।
3. न्यास/दस्त पर प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सभी शर्तें लागू होगी। उपरोक्त न्यास/दस्त में नामित व्यक्ति जो न्यासी/दस्त बनाये गये हैं वे निम्नलिखित हैं।

विजय गुप्ता



विजय गुप्ता

कमशः पेज 3.....

4450 100 4447

22/11/10
रजिस्ट्रार, शुक्ल
राम विदेगा
ह. नि. क. पी. ल. न. न. प. प. र.

आवेदन सं०: 201900998005052

न्यास पत्र

बही सं०: 4

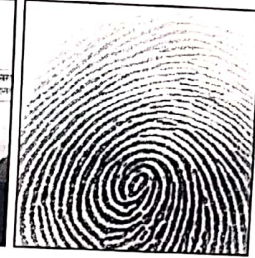
रजिस्ट्रेशन सं०: 47

वर्ष: 2019

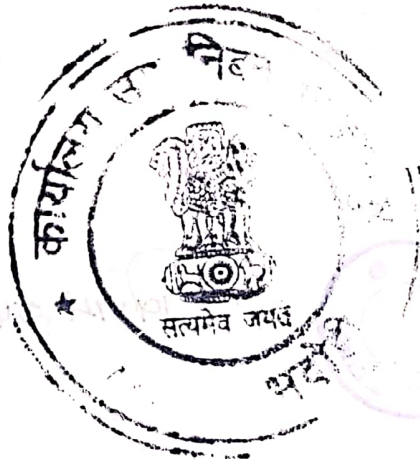
प्रतिफल- 21000 स्टाम्प शुल्क- 1730 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 420 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 540

श्री विजय कुमार शुक्ल,
पुत्र श्री रामआसरे शुक्ल
व्यवसाय : कृषि
निवासी: दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील
ज्ञानपुर-221310, आधार सं० 4247-1669-4285

विजय शुक्ल



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/11/2019 एवं
02:46:53 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शरदेन्द्र मिश्र

उप निबंधक : ज्ञानपुर

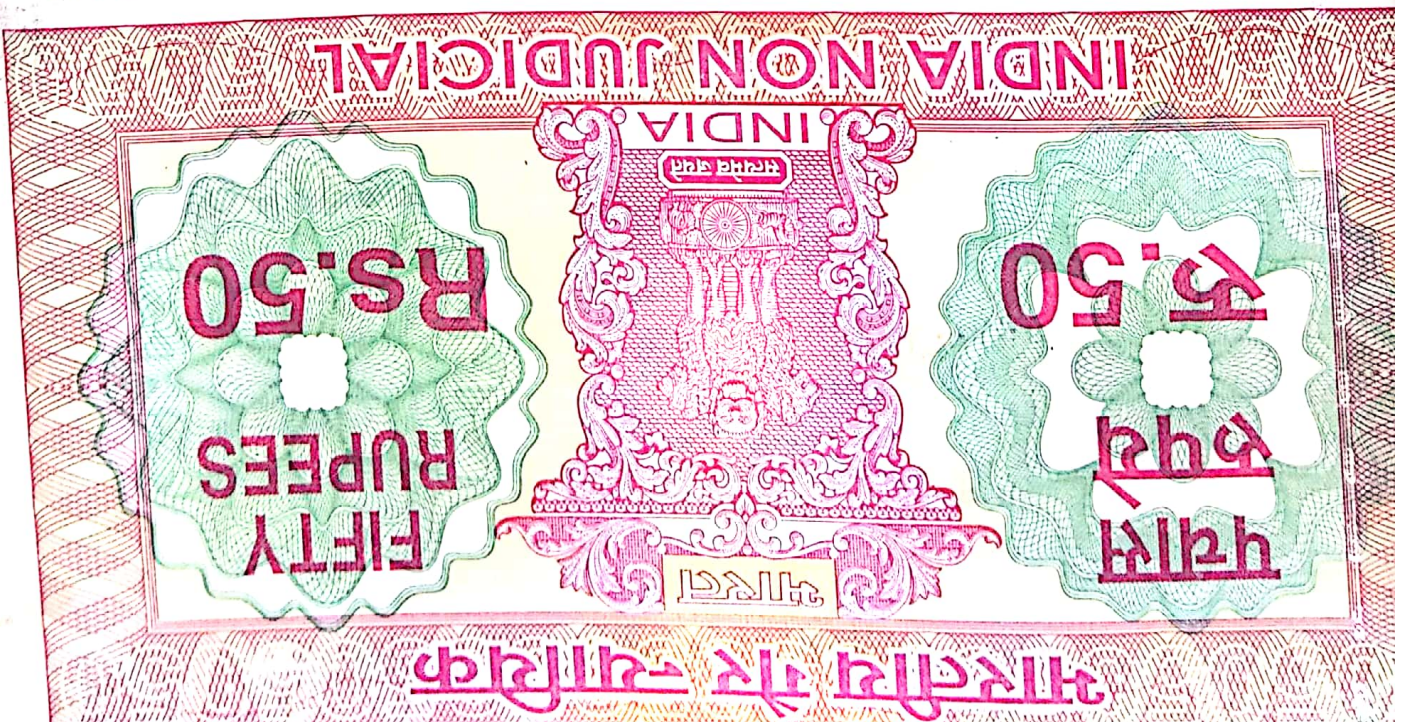
भदोही

23/11/2019

अजय कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

नर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 450446



देस/ब्यास की विविध प्रतिबद्धताएँ:-

प्रभावती देवी वैरिबल देस इण्डियन देस, एव 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस देस
 देस 1982 के वे सनसत नियम/उपनियम लागू होंगे जो कि इस देस एव के लिये आवश्यक है और
 ब्याधिक विषय में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है।
 प्रभावती देवी वैरिबल देस उसके अनुपालन में सदैव प्रतिबद्ध है। ब्यास देस के ब्यासकर्ता द्वारा
 घोषणा की जाती है, कि रु. 21,000/- (इक्कीस हजार रुपये) से इस देस की स्थापना की जा रही है
 जो कि ब्यास/ देस के ब्यास सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई है। आगे यह घोषणा की जाती है कि जो भी दान,
 अनुदान, कोष (कण्ड) या संपत्ति के रूप में प्राप्त होगा, उसका उपयोग लोककल्याणकारी, मानव भलाई,
 शिक्षा, स्वास्थ्य, गृहीणी उन्नयन एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए होगा। जो अनुदान, दान, धनराशि,
 ब्यास/ देस को प्राप्त है, या प्राप्त होगी। उसका उल्लेख रजिस्ट्र



10/07/24 20/07/24

10/07/24 20/07/24

